

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 43/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 16 मई, 2020

सा.का. नि. ....(अ) - केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मई, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 128 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

(फा.सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक, भारत सरकार